

सम्पादकीय दबा के दर्द

यह किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति करने वाली स्थिति है कि जिन जनसंरक्षणों से जुड़े मुद्दों को सरकार को प्राथमिकता के आधार पर संवर्द्धनशील ढंग से सुलझाना चाहिए, उन पर कोर्ट को पहल करनी पड़ रही है। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ अब ऑनलाइन दबा बिक्री का मुद्दा भी जुड़ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सख्त लहजे में कहा कि सरकार के लिये यह आखिरी मोरा है। वह आठ हफ्ते के बीच ऑनलाइन दबा बिक्री की नीति बनाए। लंबे समय से मुद्दा लटकाने से क्षुधा कोर्ट ने चेताया कि यदि सरकार ने नीति समय पर नहीं बनायी तो इस विभाग को देख रहे संयुक्त सचिव को आगामी चार मार्च को अदालत में जबाब देने आना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति नीति पुरकरण की पीठ ने नाराजी जतायी कि इस नीति के बनाने के लिये सरकार के पास पर्याप्त समय था, लेकिन सरकार ने मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझा। पांच साल का वक्त किसी नीति के निर्धारण के लिये पर्याप्त होता है। दरअसल, सरकार के रैये से खिन्न अदालत ने केंद्र को सख्त हिदायत दी कि वह आखिरी मोरे के रूप में सिर्फ आठ सप्ताह में नीति को अंतिम रूप दे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं के बाबत जबाब मांगा था, जो ऑनलाइन दबा बेंची जा रही दबाओं की बिक्री पर रोक लगाने के बाबत दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि ऑनलाइन दबा बेंची का आगामी कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। साथ ही यह भी कि ये दबाइयां बिना किसी उचित नियमन के ऑनलाइन बेंची जा रही हैं। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की अनदेखी की जा रही है। याचिकाकर्ताओं में शामिल साउथ केमिस्ट एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की मांग थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी दबाइयों की बिक्री पर रोक न लगाने पर ई-फार्मसी कंपनियों के खिलाफ अवमानना के कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल, इससे पहले अगस्त में कोई द्वारा पूछे जाने पर केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि इस विषय पर नियमों के मसौदे पर फिलहाल विचार-विमर्श जारी है। उल्लेखनीय है कि तब मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति अंजीव नरला की पीठ ने अंतरिम निर्देश देते हुए कहा था कि बिना वेध लाइसेंस ऑनलाइन दबाएं बेचने पर रोक के बाबत कोर्ट के 12 दिसंबर, 2018 के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर केंद्र व राज्य सरकारें अगली सुनवाई से पहले आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। तब भी कोर्ट ने वार्ताविक स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने के लिये केंद्र सरकार से कहा था। दरअसल, याचिका दायर करने वालों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों के मसौदे को चुनौती दी थी कि जिनके जरिये औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमों में संशोधन किये जा रहे हैं। तब ऑनलाइन दबाओं की बिक्री के मरीजों की सेहत के लिये उत्पन्न खर्चों की अनदेखी की आरोप लगा था। वहाँ दूसरी ओर वित्त में अदालत की कार्यवाही में सुनवाई के दौरान ऑनलाइन विक्रेताओं ने दलील दी थी कि उन्हें दबाएं बेचने के लिये लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वे तो केवल खाने की डिलीवरी करने वाले एप की तरह दबाएं डिलीवरी कर रहे हैं। जिस तरह उन एप को चलाने के लिये रेस्टरां के लिये लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, वैसे ही ई-फार्मसी को भी ग्राहकों तक दबाइयों पहुंचाने के लिये लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। निर्सदैह, ऐसे किसी तर्क से सहमत होना कठिन है क्योंकि दबा की बिक्री से जीवन-मरण का प्रश्न जुड़ा है। जिसकी जबाबदेही तय हो। निश्चित रूप से सरकार की नजर ऐसी वेबसाइटों पर होनी चाहिए जो ऑनलाइन दबा बिक्री के धंधे से जुड़ी हैं। दरअसल, ऑनलाइन दबा बेचने वाली कंपनियों ग्राहकों का भारी छूट भी देती है, जिसके चलते दुकानदार उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ऐसी वेबसाइटों को इनकार्मेशन टेक्नोलॉजी एवं 2000 के नियमों का पालन करने के लिये बाध्य करें। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दबाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर अस्थाई प्रतिबंध लगाया था।

समाज में बढ़ती दरिंदगी चिंताजनक

सुधाकर आशावादी

उचित संस्कारों के अभाव में ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है, जो केवल भौतिकता में विचारस्त रखती है। मानवीय मूल्य जिसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। यही कारण है कि देश में दरिंदगीपूर्ण वारदातों अपनी सीमाएं पार कर रही है और समाज मूकर्दशक बनकर चुप्पी साधने का आधरत हो रहा है। यदि ऐसा हो, तो नित्य ही ऐसे समाचार प्रकाश में नहीं आते, किंतु युवती को बरेली में रेल पटरी पर फैक दिया गया, जहाँ उसके अंग भंग हो गए। किंतु बालिकाओं को झूला झुलाने के बहाने जंगल में जाया गया, फिर उनके साथ दरिंदगी की गई। नित्य ही ऐसी घटनाओं में वृद्धि होना केवल पुलिस और कानून व्यवस्था की खामियां ही नहीं गिनाता, अपितु समाज में आ रहे नकारात्मक बदलाव को भी व्यक्त करता है। कटु एवं व्यवहारिक सत्य यही है कि आपाधिक प्रवृत्ति के दरिंदगों को यदि समय से कठोर दण्ड न दिया जाए, तो दरिंदगों की क्रूरता बढ़ जाती है। दिल्ली के महिलापुर में एक रात को कैब बुक कराई गई तथा कैब चालक विजेंद्र शाह को बंधक बनाकर कार लूट ली गई तथा कैब चालक को एन. एच-8 पर कार से बाहर फैक दिया गया। कैब चालक का हाथ गाड़ी में फसा रह गया, दरिंदों ने उसे करीब आगा किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा, जिस कारण उसकी मौत हो गई। कैब चालक के साथ दरिंदगी की वारदात ने कैब चालकों की स्वारियों के प्रति विश्वसनीयता को संदेह के धेरे में खड़ा कर दिया है। भले ही कार लुटेरे दरिंदों को गिरफ्तार करके उनकी हिस्ट्रीशीट खंगाल दी गई हो, भगवर इस बेखौफ दरिंदगी ने अपराधियों के बदलाव को दरिंदगीपूर्ण बदलाव बनाया। दरिंदगी की चर्चा में जिसके लिए जबाबदेही दरिंदगी की वारदात को दरिंदगीपूर्ण बदलाव बनाया जाए, तो उसकी जांच की जरूरत हो जाती है। दिल्ली के महिलापुर में एक रात को कैब बुक कराई गई तथा कैब चालक विजेंद्र शाह को बंधक बनाकर कार लूट ली गई हो, भगवर इस बेखौफ दरिंदगी ने अपराधियों को बदलाव बनाया। दरिंदगी की चर्चा में जिसके लिए जबाबदेही दरिंदगी की वारदात को दरिंदगीपूर्ण बदलाव बनाया जाए, तो उसकी जांच की जरूरत हो जाती है। दिल्ली के महिलापुर में एक रात को कैब बुक कराई गई तथा कैब चालक विजेंद्र शाह को बंधक बनाकर कार लूट ली गई हो, भगवर इस बेखौफ दरिंदगी ने अपराधियों को बदलाव बनाया। दरिंदगी की चर्चा में जिसके लिए जबाबदेही दरिंदगी की वारदात को दरिंदगीपूर्ण बदलाव बनाया जाए, तो उसकी जांच की जरूरत हो जाती है। दिल्ली के महिलापुर में एक रात को कैब बुक कराई गई तथा कैब चालक विजेंद्र शाह को बंधक बनाकर कार लूट ली गई हो, भगवर इस बेखौफ दरिंदगी ने अपराधियों को बदलाव बनाया। दरिंदगी की चर्चा में जिसके लिए जबाबदेही दरिंदगी की वारदात को दरिंदगीपूर्ण बदलाव बनाया जाए, तो उसकी जांच की जरूरत हो जाती है। दिल्ली के महिलापुर में एक रात को कैब बुक कराई गई तथा कैब चालक विजेंद्र शाह को बंधक बनाकर कार लूट ली गई हो, भगवर इस बेखौफ दरिंदगी ने अपराधियों को बदलाव बनाया। दरिंदगी की चर्चा में जिसके लिए जबाबदेही दरिंदगी की वारदात को दरिंदगीपूर्ण बदलाव बनाया जाए, तो उसकी जांच की जरूरत हो जाती है। दिल्ली के महिलापुर में एक रात को कैब बुक कराई गई तथा कैब चालक विजेंद्र शाह को बंधक बनाकर कार लूट ली गई हो, भगवर इस बेखौफ दरिंदगी ने अपराधियों को बदलाव बनाया। दरिंदगी की चर्चा में जिसके लिए जबाबदेही दरिंदगी की वारदात को दरिंदगीपूर्ण बदलाव बनाया जाए, तो उसकी जांच की जरूरत हो जाती है। दिल्ली के महिलापुर में एक रात को कैब बुक कराई गई तथा कैब चालक विजेंद्र शाह को बंधक बनाकर कार लूट ली गई हो, भगवर इस बेखौफ दरिंदगी ने अपराधियों को बदलाव बनाया। दरिंदगी की चर्चा में जिसके लिए जबाबदेही दरिंदगी की वारदात को दरिंदगीपूर्ण बदलाव बनाया जाए, तो उसकी जांच की जरूरत हो जाती है। दिल्ली के महिलापुर में एक रात को कैब बुक कराई गई तथा कैब चालक विजेंद्र शाह को बंधक बनाकर कार लूट ली गई हो, भगवर इस बेखौफ दरिंदगी ने अपराधियों को बदलाव बनाया। दरिंदगी की चर्चा में जिसके लिए जबाबदेही दरिंदगी की वारदात को दरिंदगीपूर्ण बदलाव बनाया जाए, तो उसकी जांच की जरूरत हो जाती है। दिल्ली के महिलापुर में एक रात को कैब बुक कराई गई तथा कैब चालक विजेंद्र शाह को बंधक बनाकर कार लूट ली गई हो, भगवर इस बेखौफ दरिंदगी ने अपराधियों को बदलाव बनाया। दरिंदगी की चर्चा में जिसके लिए जबाबदेही दरिंदगी की वारदात को दरिंदगीपूर्ण बदलाव बनाया जाए, तो उसकी जांच की जरूरत हो जाती है। दिल्ली के महिलापुर में एक रात को कैब बुक कराई गई तथा कैब चालक विजेंद्र शाह को बंधक बनाकर कार लूट ली गई हो, भगवर इस बेखौफ दरिंदगी ने अपराधियों को बदलाव बनाया। दरिंदगी की चर्चा में जिसके लिए जबाबदेही दरिंदगी की वारदात को दरिंदगीपूर्ण बदलाव बनाया जाए, तो उसकी जांच की जरूरत हो जाती है। दिल्ली के महिलापुर में एक रात को कैब बुक कराई गई तथा कैब चालक विजेंद्र शाह को बंधक बनाकर कार लूट ली गई हो, भगवर इस बेखौफ दरिंदगी ने अपराधियों को बदलाव बनाया। दरिंदगी की चर्चा में जिसके लिए जबाबदेही दरिंदगी की वारदात को दरिंदगीपूर्ण बदलाव बनाया जाए, तो उसकी जांच की जरूरत हो जाती है। दिल्ली के महिलापुर में एक रात को कैब बुक कराई गई तथा कैब चालक विजेंद्र शाह को बंधक बनाकर कार लूट ली गई हो, भगवर इस बेखौफ दरिंदगी ने अपराधियों को बदलाव बनाया। दरिंदगी की चर्चा में जिसके लिए जबाबदेही दरिंदगी की वारदात को दरिं

